न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल** (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 686 सन 2024

अनवान :–

1. मोहनी देवी पत्नी भालसिह जाति कुम्हार निवासी थालडका तहसील नोहर।
2. रामीदेवी पत्नी ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी थालडका तहसील नोहर।
3. सतीश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी थालडका तहसील नोहर।
4. सैन कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी थालडका तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री भरतसिह बैनीवाल अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 20/08/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा चक 5 केएन के खाता संख्या 68/60 की कुल 1.7720है भूमि वर्तमान जमाबन्दी में वादीगण खातेदार काश्तकार है वादग्रस्त भूमि वादीगण को विरास्तन से प्राप्त हुई है पुरानी खातेदारी सुलतान पुत्र बालुराम जाति कुम्हार साकिन थालडका के नाम दर्ज थी।

वाद भूमि सुलतान पुत्र बालुराम के नमा दर्ज थी चक 5 केएम के प0न0 218/398(15) के किला न0 6 ,7 ,14 ,15 ,16 ,17 ,24/1 , 24/3 ,25/1 ,25/3 की कुल 1.7720हैक भूमि में से राजस्थान राज्य भू0 राजस्व ग्रामीण क्षेत्र कृषि भूमि से अकृर्षि प्रयोजनार्थ आधोगिक प्रयोजनार्थ संपरिर्वतन किया गया था जो संपरिर्वतन भूमि का ब्यौरा मिला है व चक 5 केएम ग्राम पंचायत थालडका ने रोही मौजा चक 5 केएम के पुराना खाता संख्या 60 व नया 68 के प0न0 218/398 (15) के किला न0 6/0.161 ,7/0.253 ,14/0.2530 , 15/0.161 ,16/0.092 ,17/0.092 ,कुल 1.0120हक यानी 10120 वर्गमीटर भूमि का दिनांक 12.04.2016 को संपरिर्वतन करवाया गया था।

वादभूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उनके पूर्वजों के द्वारा संपरिर्वतन करवाई गई थी जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड में नही हुआ है जिसे राजस्व रिकार्ड में संपरिर्वतन आदेश दिनांक 12.04.2016 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वाद भूमि जो ओधोगिक प्रयोजनार्थ दिनांक 12.04.2016 को संपरिर्वतन करवाई गई थी किन्तु राजस्व रिकार्ड में संपरिर्वतन का अंकन नही होने से वादीगण के हकों का हनन होता है इसलिये वादी संपरिर्वतन भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी को कई मर्तबा संपरिर्वतन भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का निवेदन किया गया किन्तु इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 5 केएम के प0न0 218/398 (15) के किला न0 6/0.161 ,7/0.253 ,14/0.2530 , 15/0.161 ,16/0.092 ,17/0.092 ,कुल 1.0120हक यानी 10120 वर्गमीटर भूमि का दिनांक 12.04.2016 को संपरिर्वतन ओधोगिक प्रयोजनार्थ का अंकन राजस्व रिकार्ड मे करने के फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Gadwal
Date: 2024.08.14 18:09:02 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

किया की कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ के लिये संपरिर्वतन नियम 2007 के संदर्भ में जारी परिपत्र प0 6(6) राज–6/92/पार्ट–8 दिनांक 16.08.2012 के मार्गदर्शन में प्रदान किया है किक कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण होने के पश्चात खातेदारी में से भूमि कम किये जाने का प्रावधान है नामान्तकरण का कार्यक्षेत्र खातेदारी भूमि तक ही है अतः विक्रय दान वसीयत बख्सीस उतराधिकारी द्वारा रूपान्तरित भूमि का हस्तान्तरण होने पर नामान्तकरण दर्ज नही किया जावे तथा राज्यहितों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिसल किया जाकर वादी सें साक्ष्य लिये जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में उनके पिता सुलतान पुत्र बालूराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि वादीगण के नाम से दर्ज हुई है वादीगण के पिता से वाद भूमि में से 1.0120हैक्‍ भूमि का संपरिर्वतन ओधोगिक प्रयोजनार्थ करवाया जाकर मौके पर उधोग ईटट भटटा स्थापित किया जाकर संचालित किया गया था किन्तु संपरिर्वतन आदेश का अंकन राजस्व रिकार्ड में नही होने के कारण वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता के नाम कृषि भूमि बतौर खातेदार काश्तकार ही चली आ रही है तथा वादीगण के पिता सुलतान के देहान्त होने पर वाद भूमि वादीगण के नाम विरास्तन बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हो गई है।

वाद भूमि पर वादीगण के पिता के समय से ही ईटट भटटा चला आ रहा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि दर्ज है जिससे वादीगण के हको को हनन होता है क्योकि कृषि भूमि पर ईटट भटटा चलाना अवैध की श्रेणी में आता है जबकि सक्षम कार्यालय से संपरिवर्तन करवाया हुआ है कानुनी पेचिदगीयों से बचने के लिये राजस्व रिकार्ड में जिस प्रयोजनार्थ संपरिर्वतन करवाया गया था उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की परिपत्र के अनुसार राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन किया गया।

वाद भूमि रोही मौजा चक 5 केएम के प0न0 218/398 (15) के किला न0 6/0.161 ,7/0.253 ,14/0.2530 , 15/0.161 ,16/0.092 ,17/0.092 ,कुल 1.0120हैक्‍ पूर्व में सुलतान पत्र बालुराम जाति कुम्हार के नाम से बतौर खातेदार दर्ज थी सुलतान पुत्र बालुराम ने उक्त भूमि पर ईटट भटटा स्थापित/संचालित किया जा रहा था ईटट भटटा संचालित /स्थापित करने के उपरान्त सुलतान पुत्र बालुराम ने उक्त कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ (औधोगिक प्रयोजनार्थ) संपरिर्वतन करवाया गया था जो प्रस्तुत सपंरिवर्ततन आदेश की प्रति से साबित है।

सुलतान पुत्र बालूराम ने रोही मौजा चक 5 केएम के प0न0 218/398 (15) के किला न0 6/0.161 ,7/0.253 ,14/0.2530 , 15/0.161 ,16/0.092 ,17/0.092 ,कुल 1.0120हैक्‍ भूमि को ओधोगिक प्रयोजनार्थ संपरिर्वतन करवाया गया था जिसका निर्धारित शुल्क राजकोष में जमा करवाया जा चुका है।

सुलतान पुत्र बालुराम के संपरिर्वतन आदेश की प्रति तहसीलदार नोहर को भिजवाई जाकर संपरिर्वतन आदेश का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार संपरिर्वतन की गई भूमि आज भी राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार [illegible] तहसीलदार का दायित्व था की वह संपरिर्वतन आदेश की पालना में तुरन्त राजस्व रिकार्ड संपरिर्वतन जिस प्रयोजनार्थ किया गया है उस प्रयोजनार्थ दर्ज कर[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:09:02 IST
Reason: SelfAttested

सुलतान पुत्र बालुराम की देहान्त हो गया है जो प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र से साबित है सुलतान पुत्र बालुराम के जायज वारिसान वादीगण है जो प्रस्तुत वारिस शपथ पत्र से साबित है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विरास्तन से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादीगण का कथन है कि उनके पूर्वज के द्वारा जिस प्रयोजनार्थ भूमि संपरिर्वतन करवाई गई थी उसी प्रयोजनार्थ वर्तमान में उपयोग में लिया जा रहा है वादीगण के कथन प्रस्तुत फर्द मोका रिपोर्ट से प्रमाणित होता है वादीगण जिस प्रयोजनार्थ भूमि का संपरिर्वतन करवाया गया था उसी प्रयोजनार्थ राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है

सुलतान पुत्र बालुराम का देहान्त होने एव विरास्तन से भूमि राजस्व रिकार्ड में उनके वारिसान वादीगण ने नाम दर्ज हो चुकी है मृतक के नाम संपरिर्वतन का अकन किया जाना न्यायोचित नही है यह तो उसी समय किया जाना चाहिये था वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में जिनके नाम से भूमि दर्ज हो चुकी है उनके ही नाम खातेदार के स्थान पर जिस प्रयोजनार्थ भूमि का संपरिर्वतन किया गया है का अंकन करवाया जाना उचित है क्योकि मौक पर उसी प्रयोजनार्थ भूमि का उपयोग हो रहा है साथ ही संपरिर्वतन आदेश में अंकिन शर्ते का उल्धंन भी नही किया जाना पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वादीगण के पिता सुलतान पुत्र बालुराम के द्वारा वाद भूमि जो ओधोगिक प्रयोजनार्थ संपरिर्वतन करवाया गया था का सहवन से तहसीलदार नोहर के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अंकन नही किया गया राज्यहकों को सुरक्षित रखने हेतु संपरिर्वतन आदेश का अंकन राजस्व रिकार्ड में करवाया जाना न्यायोचित है कि ताकि राजस्व रिकार्ड में उपडेट रह सके

अतः वादीगण का वाद साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 केएम के प0न0 218/398 (15) के किला न0 6/0.161 ,7/0.253 ,14/0.2530 , 15/0.161 ,16/0.092 ,17/0.092 ,कुल 1.0120हैक भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है के स्थान पर ओधोगिक प्रयोजनार्थ संमपरिर्वतित अंकन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी संशोधित की जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 08/08/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:09:02 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. मोहनी देवी पत्नी भालसिह जाति कुम्हार निवासी थालडका तहसील नोहर।
2. रामीदेवी पत्नी ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी थालडका तहसील नोहर।
3. सतीश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी थालडका तहसील नोहर।
4. सैन कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी थालडका तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 686 सन 2024 निर्णय दिनांक– 08/08/24

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीगण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 केएम के प0न0 218/398 (15) के किला न0 6/0.161 ,7/0.253 ,14/0.2530 , 15/0.161 ,16/0.092 ,17/0.092 ,कुल 1.0120हैक भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है के स्थान पर ओधोगिक प्रयोजनार्थ संमपरिर्वतित अंकन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी संशोधित की जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/08/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:09:02 IST
Reason: SelfAttested